राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

निविदा आमंत्रण हेतु विज्ञापन

म.प्र. शासन द्वारा विश्वविद्यालय में लागू स्ववित्तीय पेंशन योजना के संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन फंड के प्रबंधन हेतु प्रोफेशनल मैनेजर एवं पेंशन भुगतान का कार्य एक ही संस्था द्वारा किया जाना है ऐसी राष्ट्रीयकृत एवं अनुसूचित बैंक जो कि आर.बी.आई. के अंतर्गत हो, बैंकों से अनुबंध **(Agreement)** किए जाने बाबत् निविदा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र लेखानियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर – 474002 म.प्र. के कार्यालय में दिनांक **17.01.2021** तक कार्यालयीन समय में स्पीड पोस्ट के द्वारा प्रेषित किये जा सकेंगे। निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.rvskvv.net** पर उपलब्ध है।

Last date of Download the Tender	-	**28.12.2020**
Date of Pre-bid meeting	-	**02.01.2021**
Last date of submission of Tender	-	**11.01.2021**
Email Id	-	**comptroller@rvskvv.net**
Telephone No.	-	**0751-2970516 (Office)**

लेखा नियंत्रक

RULES AND REGULATIONS OF Tender

UNDER SELF-FINANCE PENSION SCHEME

1.) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थाओं जो कि आर.बी.आई. के अंतर्गत हो जिनमें पेंशन योजना चलाने की अनुमति/ अधिकारिता का प्रमाण–पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

2.) दिसंबर 2020 में पेंशन/परिवार पेंशनभोगियों की कुल संख्या लगभग 250 है तथा भविष्य में पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 360 तक होना संभावित है।

3.) पेंशन फंड प्रबंधन तथा पेंशन वितरण का कार्य किसी एक ही संस्था द्वारा किया जावेगा।

4.) म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक–बी–4/50/2014/14–2 भोपाल दिनांक 22.10.2016 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय में लागू स्व–वित्तीय पेंशन योजना 1994 को संशोधित कर, परिवर्तित स्वरूप में संचालित किए जाने हेतु दिनांक 22.10.2016 की स्थिति में विश्वविद्यालय के पेंशन फंड में उपलब्ध राशि पर अर्जित ब्याज का उपयोग पेंशन भुगतान में किया जावेगा। जिसमें से 3–5 माह तक के पेंशन के भुगतान के बराबर अग्रिम राशि वित्तीय संस्था पर संरक्षित रहेगी जिससे पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा सकेगा। इस राशि का उपयोग केवल पेंशन वितरण हेतु किया जावेगा।

5.) स्ववित्तीय पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनभोगियों को देय, पेंशन भुगतान पर क्या कोई सेवा–प्रभार लिया जावेगा ? यदि हाँ, तो प्रति पेंशनर्स, प्रतिमाह, क्या सेवा प्रभार लिया जावेगा, स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें। **निःशुल्क सेवा प्रदाय की जाने वाली संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी।**

6.) वित्तीय संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय पेंशन योजना के समस्त पेंशनभोगियों का संपूर्ण भारत में अपनी विभिन्न शाखाओं/पेंशन भुगतान प्रकोष्ठों के माध्यम से, पेंशन की गणना कर, प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस में प्रत्येक पेंशनभोगी के खाते में सीधे जमा करना होगा।

7.) वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार स्ववित्तीय पेंशन योजना के संबंध में पेंशन योजना एवं पेंशन की दरों में परिवर्तन आपको विश्वविद्यालय द्वारा यथासमय सूचित किया जावेगा। तद्नुसार गणना कर पेंशन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

8.) पेंशनर्स के जीवित प्रमाण पत्र संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा ही लिये जावेंगे।

9.) पेंशन की प्रथम गणना करने के पश्चात वित्तीय संस्था ही नियमानुसार गणना करेगी तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा महंगाई, राहत इत्यादि से संबंधित दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

10.) यदि किन्हीं कारणों से किसी माह में विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन भुगतान करने में असमर्थता रहती है तो संबंधित वित्तीय संस्था भुगतान करेगी, जिसका कोई अतिरिक्त शुल्क संबंधित बैंक नहीं लेगी।

Comptroller
R.V.S.K.V.V., Gwalior

11.) समस्त गणना संबंधित वित्तीय संस्था को करना पड़ेगी एवं यदि नियमित पेंशन से परिवार पेंशन में परिवर्तन भी वित्तीय संस्था को करना पड़ेगा।

12.) पेंशनर्स के आयकर संबंधी गणना संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा की जाकर नियमानुसार आयकर कटोत्रा कर पेंशनर्स को Form-16 उपलब्ध कराना होगा।

13.) आयकर अधिनियम **Rule 89** का परिपालन सुनिश्चित करना होगा।

14.) नियामक ऑथोरिटी / **IT Act** का नियमानुसार परिपालन किया जाना आवश्यक होगा।

15.) समस्त पेंशनभोगियों का देय पेंशन राशि के व्यय का मासिक विवरण निम्न प्रारूप में विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रतिमाह उपलब्ध कराना होगा।

सं.क्र.	पेंशनभोगी / परिवार पेंशनभोगी का नाम	पी.पी.ओ. क्रमांक	बैंक का नाम एवं IFSC Code	बैंक खाता क्रमांक	मूल पेंशन राशि	महँगाई राहत राशि	अन्य भुगतान	कुल पेंशन राशि	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

16.) विश्वविद्यालय एवं संस्था के मध्य एक एम.ओ.यू. तीन–तीन गवाहों के साथ में (रजिस्टर्ड) बनाने की सहमति होनी चाहिए।

17.) जिस वित्तीय संस्था की साख (goodwill) / सेवाएं विश्वविद्यालय को उचित लगेगी, उसे उक्त ऑफर दिया जावेगा।

18.) समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के हित में सुरक्षित रहेंगे। जिसमें विश्वविद्यालय के समस्त नियमों / निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

19.) किसी भी वाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय खंडपीठ, ग्वालियर (म.प्र.) का होगा।

Comptroller
R.V.S.K.V.V., Gwalior